

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली गजट नोटिफिकेशन GSR 106(E) दिनांक 01 फरवरी 2017 द्वारा कीटनाशी (संशोधन) नियम 2017 तथा संशोधित इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विहित आर्हता के बिना विधीमान्य अनुज्ञप्ती रखने वाले सभी फुटकर विक्रेताओं को उक्त आर्हताओं का पालन करने के लिए दो वर्ष की अवधी दिनांक 31.01.2019 तक अनुज्ञात रहेगी, बशर्त लायसेंस उक्त अवधी में निलम्बन/निरस्त न किया हो। तत्पश्चात कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कार्यवाही की जावेगी।



A  
अनुज्ञापक अधिकारी पी.सं.  
उपसंचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग  
जिला मंदसौर

7 2 JAN 2018

Renewed from 31 DEC 2021  
on the Same terms & Conditions

A  
उप संचालक कृषि  
एवं  
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी  
देव संन्दाज  
जिला मंदसौर

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली गजट नोटिफिकेशन GSR II(E) दिनांक 03 जनवरी 2019 द्वारा कीटनाशी ,संशोधन नियम 10 के उपनियम (1क) में यथा संशोधित इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विहित आर्हता के बिना विधीमान्य अनुज्ञप्ती रखने वाले सभी फुटकर विक्रेताओं को उक्त आर्हताओं का पालन करने के लिए दो वर्ष की अवधी के स्थान पर तीन वर्ष दिनांक 31.01.2020 तक अनुज्ञात रहेगी, बशर्त लायसेंस उक्त अवधी में निलम्बन/निरस्त न किया हो। तत्पश्चात कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कार्यवाही की जावेगी।



A  
अनुज्ञापक अधिकारी पी.सं.  
उपसंचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
जिला मंदसौर

1 2 MAR 2019

Valid upto 31 DEC 2020  
on the Same terms & Conditions

A  
उप संचालक कृषि  
एवं  
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी  
देव संन्दाज  
जिला मंदसौर

Renewed from 31 DEC 2022  
on the Same terms & Conditions  
उप संचालक कृषि  
एवं  
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी  
देव संन्दाज  
जिला मंदसौर



कीटनाशियों के विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा वितरण के लिए अनुज्ञप्ति, जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रक संक्रियाओं के लिए कीटनाशियों का स्टॉक और उपयोग भी है।

(नियम 10 का उपनियम (3क) और (4) देखिए)

अनुज्ञप्ति संख्यांक : 453

जारी दिनांक : 1-01-2009

सांवरिया कृषि सेवा केन्द्र, पिपलियामण्डी पर स्थित परिसर पर (पिन कोड के साथ सम्पूर्ण पता)

निम्नलिखित कीटनाशी (कीटनाशियों) के खुदरा द्वारा विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अथवा वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं को चलाये जाने के लिए अनुज्ञप्ति मैसर्स : सांवरिया कृषि सेवा केन्द्र, पिपलियामण्डी, प्रो. कन्हैयालाल को प्रदान की जाती है जैसा विनिर्दिष्ट है:-

क्रमांक	कीटनाशी का विवरण	पंजीकरण संख्यांक	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख
संलग्न:- सूची अनुसार .....			

अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन उपबंधों ओर तत्समय प्रयुक्त नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और साथ ही नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

स्थान:- मन्दसौर

तारीख: 21 MAR 2017

*[Signature]*

अनुज्ञापक अधिकारी के हस्ताक्षर  
जिला-मन्दसौर अधिकारी  
विभाग  
मिना मन्दसौर

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति परिसर के सहसदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
2. कीटनाशी को वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं में प्रयोग के लिए समय-समय पर पंजीकरण समिति के द्वारा अनुमोदित पैकेजेस के सिवाय विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शित या वितरित अथवा जारी नहीं किया जाएगा।
3. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के दौरान कोई अतिरिक्त कीटनाशी विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण अथवा वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए प्रयोग करना चाहता है तो वह प्रत्येक ऐसे कीटनाशी के लिए विहित फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।
4. नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 10 के उप-नियम (3क) उल्लिखित उपबन्धों के तहत किया जाएगा।
5. कोई शर्त (शर्तें) अनुज्ञापक अधिकारी द्वारा विहित की जा सकेगी।

*[Signature]*

अनुज्ञापक अधिकारी के हस्ताक्षर  
जिला-मन्दसौर

नोट:- सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस उप-नियम के अधिसूचना की 5 नवम्बर 2015 जी.एस.आर. 840 (ई) की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करता हो उन्हें शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने का दो वर्ष का समय दिनांक 04.11.2017 तक दिया गया है। उक्त अवधि में शैक्षिक अर्हता प्रस्तुत नहीं करने पर तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

*[Red Stamp]*  
मन्दसौर